:आदेशः

बैंक में परिपत्र सं0 सी–02 / वसूली / ओ0टी0एस0 / 18–19 दि0 05.04.2018 द्वारा बैंक के ऐसे बकायेदार जो कतिपय कारणों से अपना बकाया अदा नहीं कर पाये है उन्हे पुनः ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, बकायेदार कृषकों को राहत पहुॅचाने, बैंक की वसूली में सुधार लाने एवं बैंक के बढ़ते हुए एन.पी.ए. में कमी लाने के उद्देश्य से ''एक मुश्त समाधान योजना–2018'' लागू की गई है। उक्त योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में परिपत्र सं0 34528–38 / वसूली / ओ0टी0एस0 / 18–19 दि0 11.04.2018 द्वारा पुनः विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपर्युक्त योजना के शाखा स्तर पर कियान्वयन के सम्बन्ध में संज्ञान में लाई गई कतिपय भ्रांतियों एवं समस्याओं के यथावश्यक निवारण तथा ओ0टी0एस योजना–2018 का अनुश्रवण हेतु महाप्रबन्धक (वसूली) की अध्यक्षता में अधोलिखित कमेटी का गठन किया जाता है:–

1.	श्री आर0पी0 सिंह, उप महाप्रबन्धक	सदस्य
2.	श्री सुभाष चन्द्र, सहा0 महाप्रबन्धक	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय, सहा0 महाप्रबन्धक	सदस्य
4.	श्री संजय, सहा0 महाप्रबन्धक	सदस्य
5.	श्री महेश कुमार, सहा0 महाप्रबन्धक	संयोजक

उपर्युक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह ओ0टी0एस0 योजना–2018 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्राप्त भ्रांतियों एवं समस्याओं का परीक्षण कर उसके निराकरण के सम्बन्ध में अपने सुझाव संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

आदेशांक– 34573 / वसूली / ओटीएस / 2018–19 दिनॉकः 13.04.18

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2. श्री कामेन्द्र कुमार वर्मा सहा0आं0, वसूली अनुभाग, व शिवबालक रावत प्रवर टंकक को इस निर्देश के साथ कि वह ''एक मुश्त समाधान योजना–2018'' के सम्बन्ध में गठित कमेटी के निर्देशन में कार्यवाही करेगें।
3. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सहाकरी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 / प्रशि0केन्द्र लखनऊ।
4. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
5. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर), को बैंक की शाखाओं को ई0मेल कराने हेतु।

(महेश कुमार)
सहा0 महाप्रबन्धक (वसूली)